रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-07092021-229474 CG-DL-E-07092021-229474

### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1 PART I—Section 1

## प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 254] No. 254] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 7, 2021/भाद्र 16, 1943 NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 7, 2021/BHADRA 16, 1943

#### संचार मंत्रालय

# (दूरसंचार विभाग)

# अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 2021

विषय: सरकारी अधिप्राप्ति (मेक इन इंडिया को प्राथमिकता) आदेश 2017- दूरसंचार उत्पादों, सेवाओं अथवा कार्यों की अधिसुचना के संबंध में

फा. सं. 18-10/2017-आईपी.—

संदर्भ:

- i) औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) का दिनांक 15.06.2017 का आदेश संख्या पी-45021/2/2017-बीई- II
- ii) औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) का दिनांक 28.05.2018 का आदेश संख्या पी-45021/2/2017-पीपी (बीई-II) - संशोधन
- iii) उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) का दिनांक 29.05.2019 का आदेश संख्या पी-45021/2/2017 (बीई-II) संशोधन
- iv) उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) का दिनांक 04.06.2020 का आदेश संख्या पी-45021/2/2017 (बीई-II) संशोधन

4973 GI/2021 (1)

# v) उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) का दिनांक 16.09.2020 का आदेश संख्या पी-45021/2/2017 (बीई-II) - संशोधन

सरकार ने औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) के दिनांक 15.06.2017 के आदेश संख्या पी-45021/2/2017-बीई-II द्वारा सरकारी अधिप्राप्ति (मेक इन इंडिया को प्राथमिकता) आदेश 2017 (इसे आगे "पीपीपी-एमआईआई आदेश" कहा गया है) जारी किया है जिसे आगे दिनांक 28.05.2018 के आदेश, दिनांक 29.05.2019 के आदेश, दिनांक 04.06.2020 के आदेश और दिनांक 16.09.2020 के आदेश द्वारा संशोधित किया गया है ताकि मेक इन इंडिया को प्रोत्साहित किया जा सके तथा आय एवं रोजगार को बढ़ाने के दृष्टि से भारत में वस्तुओं और सेवाओं के विनिर्माण तथा उत्पादन में वृद्धि की जा सके।

- 2. उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने दूरसंचार क्षेत्र से संबंधित वस्तुओं, सेवाओं अथवा कार्यों की अधिप्राप्ति से संबंधित प्रावधानों को लागू करने के लिए दूरसंचार विभाग को नोडल विभाग के रूप में अभिनिर्धारित किया है।
- 3. तदनुसार, दूरसंचार विभाग द्वारा, 29 अगस्त 2018 की अपनी पूर्ववर्ती अधिसूचना सं 18-10/2017-आईपी का अधिक्रमण करते हुए इस अधिसूचना को जारी किया जाता है।
- 4. पीपीपी-एमआईआई आदेश दिनांक 16.09.2020 के खंड 3(क) के अनुसार, यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित दूरसंचार उत्पादों, सेवाओं अथवा कार्यों में पर्याप्त स्थानीय क्षमता और स्थानीय प्रतिस्पर्धा है:

| क्र.सं. | उत्पाद श्रेणी   | उत्पाद विवरण  |
|---------|---|---|
| 1       | एन्क्रिप्शन / यूटीएम (यूनीफाइड थ्रेट मैनेजमेंट)   | टीडीएम (टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्स)   |
| 2       | प्लेटफॉर्म (टीडीएम और आईपी) (यूनीफाइड<br>थ्रेट मैनेजमेंट)   | आईपी (इंटरनेट प्रोटोकॉल)  |
| 3       | आईपी/एमपीएलएस कोर<br>राउटर/एज/एग्रीगेशन/एंटरप्राइज राउटर  | एसडी-वैन राउटर (एसडीएन श्रेणी) होम / एंटरप्राइज -<br>कोर / ब्रांच राउटर (< =1 जीबीपीएस)   |
| 4       | ईथरनेट स्विच (एल2 और एल3)   | (स्टैकेबल / स्टैंडअलोन / मॉड्यूलर स्विच), कोर /<br>डिस्ट्रीब्यूशन / एक्सेस लेयर्स (पीओई / पीओई + सहित) के<br>लिए एल2/एल3 ईथरनेट स्विच 1-100 जीबीई इंटरफेस<br>स्विच (मेट्रो और एंटरप्राइज) |
| 5       |   | औद्योगिक / कैरियर ग्रेड लैन 1, 10 जीबीईपीओई / पीओई<br>+ / गैर-पीओई स्विच (ईथरनेट पर पावर)   |
| 6       | आईपी आधारित सॉफ्ट स्विच, आईएमएस,<br>एकीकृत संचार प्रणाली  | आईपी पीबीएक्स / यूनिफाइड कम्युनिकेशन सिस्टम्स<br>(यूसीएस): एंटरप्राइज क्लास   |
| 7       | वायरलाइन पीएबीएक्स / आईपी पीबीएक्स  | वायरलाइन पीएबीएक्स / आईपी पीबीएक्स  |
| 8       | ग्राहक परिसर उपकरण (सीपीई) (वाई-फाई<br>एक्सेस पॉइंट, कम क्षमता वाले राउटर,<br>मीडिया कन्वर्टर्स सहित) | सीपीई (वाई-फाई एक्सेस पॉइंट और राउटर सहित),<br>[राउटर-ये छोटी क्षमताएं हैं - होम क्लास]   |
| 9       | लीज-लाइन मोडेम एन*2 एमबीपीएस/आईपी   | लीज-लाइन मोडेम एन*2 एमबीपीएस/आईपी   |
| 10      | जीपीओएन उपकरण (ओएनटी और ओएलटी<br>सहित)  | जीपीओएन/एक्सजीपीओएन उपकरण (ओएनटी और<br>ओएलटी सहित)  |
| 11      | एसडीएच / पीडीएच क्रॉस कनेक्ट  | एसडीएच/पीडीएच क्रॉस कनेक्ट<br>(एसटीएम: 1/4/16/64; ई1/ई3/डीएस3; ईथरनेट   |

|    |  | इंटरफेस)  |
|----|--|---|
| 12 | छोटे आकार के एलटीई/एलटीई-आर आधारित<br>मोबाइल सिस्टम, अपने विभिन्न डेरिवेटिव के<br>साथ  | मैक्रो ईनोड बी, श्रेणी 2, टीईसी ईएनबी जीआर<br>(टीडीडी/एफडीडी) के अनुसार (ईएनबी जीआर<br>सं.टीईसी/जीआर/डब्ल्यूएस/ईएनबी-001/01/मार्च-19) |
| 13 | वाई-फाई आधारित ब्रॉडबैंड वायरलेस एक्सेस<br>सिस्टम इनडोर और आउटडोर (एक्सेस प्वाइंट,<br>एग्रीगेशन ब्लॉक, कोर ब्लॉक सहित)             | इंडोर एपी (802.11 ऐक्स एमआईएमओ, 2.4 और 5<br>गीगाहर्ट्ज बैंड)  |
| 14 | वाई-फाई एक्सेस कंट्रोलर (इंटरऑपरेबिलिटी<br>और मल्टी वेंडर एपी सपोर्ट के साथ)   | टाइप 1: <= 2000 एपी सपोर्ट  |
| 15 | रेडियो सिस्टम (आईपी/हाइब्रिड)  | रेडियो सिस्टम (आईपी/हाइब्रिड) (5 गीगाहर्ट्ज बैंड -<br>लाइसेंस छूट बैंड)   |
| 16 | पुनरावर्तक (आरएफ/आरएफ-ओवर-<br>ऑप्टिकल), आईबीएस और वितरित एंटीना<br>सिस्टम (इनडोर/आउटडोर) सक्रिय और<br>निष्क्रिय सहायक उपकरणों सहित | पुनरावर्तक (आरएफ/आरएफ-ओवर-ऑप्टिकल), आईबीएस<br>और वितरित एंटीना सिस्टम (इनडोर/आउटडोर) सक्रिय<br>और निष्क्रिय सहायक उपकरणों सहित        |
| 17 | सैटेलाइट फोन (एस बैंड)   | वॉयस और डेटा दोनों (9.6 केबीपीएस तक)  |
| 18 | आपदा संचार प्रणाली आदि, बैकपैक सैटेलाइट<br>उत्पादों (एस बैंड) सहित   | पोर्टेबल टर्मिनल वॉयस और डेटा (2 एमबीपीएस यूएल) के लिए टीईसी जीआर (टीईसी / टीएस टीपी / टीएक्स / पीवीटी -01/01/जन 11)                  |
| 19 | दूरसंचार नेटवर्क प्रबंधन प्रणाली (एनएमएस)  | वाहक वर्ग   |
| 20 | अपने विभिन्न डेरिवेटिव के साथ  | उद्यम वर्ग  |
| 21 | ऑप्टिकल फाइबर  | सिंगल मोड / मल्टीमोड ऑप्टिकल फाइबर  |
| 22 | ऑप्टिकल फाइबर केबल   | ऑप्टिकल फाइबर केबल (यूजी और ओएच)  |
| 23 | टेलीकॉम पावर सिस्टम (सौर ऊर्जा सहित)   | यूपीएस, पावर प्लांट, इन्वर्टर (सौर ऊर्जा सहित) 0.5-<br>1500 केवीए   |
| 24 |  | पावर प्लांट: 1-2000 केवीए (मॉड्यूलर)  |
| 25 | दूरसंचार बैटरी (लेड एसिड और लिथियम-<br>आयन)  | 5000 एएच तक लेड एसिड (वीआरएलए सहित)   |

इस सूची की समय-समय पर समीक्षा देश में होने वाले उन्नत उत्पादन क्षमता के आधार पर की जाएगी।

- 5. घरेलू सामग्री की परिभाषा पीपीपी-एमआईआई आदेश दिनांक 16.09.2020 के खंड 2 के अनुसार होगी। पीपीपी-एमआईआई आदेश दिनांक 16.09.2020 के खंड 5 के अनुसार, एतद्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली (पीसीबीए) और परिक्षण आयातित/घरेलू रूप से निर्मित पुर्जो और घटकों से भारत में सरफेस माउंटिंग टेक्नोलॉजी (एसएमटी) प्रक्रिया का उपयोग करके किया जाता है, तो आयातित/घरेलू रूप से निर्मित पुर्जे और घटक घरेलू सामग्री के उद्देश्य के लिए अर्हक होंगे। इसकी समीक्षा भारत में सेमीकंडक्टर फैब के चालू होने पर की जाएगी।
- 6. पीपीपी-एमआईआई आदेश दिनांक 16.09.2020 के खंड 9(घ) के अनुसार, शिकायतों और स्व-घोषणापत्रों तथा लेखापरीक्षकों/लेखाकारों के प्रमाणपत्रों का स्वतंत्र रूप से आकस्मिक सत्यापन करने हेतु निम्नलिखित समिति का गठन किया गया है:

| क)  | डीडीजी (टीसी), टीईसी, नई दिल्ली –       | अध्यक्ष |
|-----|---|---------|
| ख)  | निदेशक (तकनीकी), सी-डॉट                 | सदस्य   |
| ग)  | अध्यक्ष द्वारा सहयोजित कोई अन्य सदस्य - | सदस्य   |
| घ ) | डीजी, टीईपीसी -                         | सदस्य   |
| ड.) | निदेशक (वित्त), दूरसंचार विभाग -        | सदस्य   |
| 퍽)  | निदेशक, टीईसी -                         | संयोजक  |

- 7. यदि घरेलू रूप से दूरसंचार उत्पाद, सेवाओं अथवा कार्यों की आपूर्ति में घरेलू सामग्री (एलसी) के बारे में किसी बोलीदाता के दावे के विरूद्ध अधिप्रापण संस्था अथवा संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा कोई शिकायत प्राप्त होती है तो इसे उपर्युक्त पैरा 6 के अनुसार समिति को भेजा जाएगा। समिति को बोलीदाता के द्वारा की गई घरेलू सामग्री के समर्थन में सभी आवश्यक दस्तावेजों सहित प्राप्त शिकायतों का निपटान शिकायत प्राप्ति की तारीख से यथा-संभव 4 सप्ताह के भीतर कर देना चाहिए।
- 8. पीपीपी-एमआईआई आदेश दिनांक 16.09.2020 के खंड 9 (ड.) के अनुसार, यह अधिसूचित किया जाता है कि न्यूनतम शिकायत शुल्क 2 लाख रुपए अथवा अधिप्राप्त किए जाने वाले घरेलू रूप से आपूर्ति किए गए दूरसंचार उत्पादों, सेवाओं अथवा कार्यों के मूल्य का 1 प्रतिशत (अधिकतम 5 लाख रुपये तक), इनमें से जो भी अधिक हो, का होगा जिसका भुगतान "डिमांड ड्राफ्ट" द्वारा अथवा "ऑनलाइन" किया जाएगा और जिसे दूरसंचार अभियांत्रिकी केंद्र (टीईसी) के पास अथवा अन्य तीसरे पक्ष की परीक्षण प्रयोगशालाओं अथवा शिकायतकर्ता द्वारा की गई शिकायत के साथ टीईसी द्वारा मान्यता-प्राप्त तकनीकी लेखा परीक्षकों के पास जमा किया जाएगा। यदि शिकायत गलत पाई जाती है, तो शिकायत शुल्क जब्त कर लिया जाएगा। यदि शिकायत को आंशिक अथवा पूर्णत: सही पाई जाती है, तो शिकायतकर्ता का जमा शुल्क बिना किसी ब्याज के वापस कर दिया जाएगा।
- 9. यह स्पष्ट किया जाता है कि यह अधिसूचना उन सभी केंद्रीय स्कीमों (सीएस)/केंद्रीय क्षेत्र की स्कीमों (सीएसएस), जिनके लिए राज्यों और स्थानीय निकायों द्वारा अधिप्रापण किया जाता है, पर भी लागू होगी यदि उस परियोजना अथवा स्कीम को पूरी तरह से अथवा आंशिक रूप से सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) परियोजनाओं सहित भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित किया गया हो।
- 10. यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी और संशोधित होने तक वैध रहेगी। यह स्पष्ट किया जाता है कि नोडल मंत्रालय के विशिष्ट संशोधनों को छोड़कर, पीपीपी-एमआईआई आदेश, 2017 के अन्य सभी परिशोधनों/संशोधनों का कड़ाई से पालन किया जाएगा।

हरि रंजन राव, संयुक्त सचिव

#### MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Department of Telecommunications)

### **NOTIFICATION**

New Delhi, 31st August, 2021

Subject: Public Procurement (Preference to Make in India) Order 2017- Notification of Telecom Goods, Services or Works - regarding.

F. No. 18-10/2017-IP.—

Reference: i) Department of Industrial Policy & Promotion (DIPP) Order No. P-45021/2/2017-B.E.-II dated 15.06.2017

ii) Department of Industrial Policy & Promotion (DIPP) Order No. P-45021/2/2017-PP (BE-II) dated 28.05.2018 – Revision

- iii) Department for Promotion of Industry & Internal Trade (DPIIT) Order No. P-45021/2/2017 (B.E.-II) dated 29.05.2019 Revision
- iv) Department for Promotion of Industry & Internal Trade (DPIIT) Order No. P-45021/2/2017 (B.E.-II) dated 04.06.2020 Revision
- v) Department for Promotion of Industry & Internal Trade (DPIIT) Order No. P-45021/2/2017 (B.E.-II) dated 16.09.2020 Revision

The Government has issued Public Procurement (Preference to Make in India), Order 2017 (hereinafter called as "PPP-MII Order") vide the Department of Industrial Policy and Promotion (DIPP) Order No. P-45021/2/2017-B.E.-II dated 15.06.2017 which is further revised vide Order dated 28.05.2018, Order dated 29.05.2019, Order dated 04.06.2020 and Order dated 16.09.2020 to encourage 'Make in India' and to promote manufacturing and production of goods and services in India with a view to enhancing income and employment.

- 2. Department for Promotion of Industry & Internal Trade (DPIIT) has identified Department of Telecommunications as the nodal Department for implementing the provisions related to procurement of goods, services or works related to the telecommunication sector.
- 3. Accordingly, the Department of Telecommunications, in supersession of its earlier notification No. 18-10/2017-IP dated 29<sup>th</sup> August, 2018 issues this notification.
- 4. In terms of clauses 3(a) of the PPP-MII Order dated 16.09.2020, it is declared that following telecom products, services or works are having sufficient local capacity and local competition:

| S. No. | <b>Product Category</b>  | Product Details   |
|--------|--|---|
| 1      | Encryption/ UTM (Unified threat  | TDM (Time Division Multiplex)   |
| 2      | management) platforms (TDM and IP) (Unified threat management)   | IP (Internet Protocol)  |
| 3      | IP/ MPLS Core routers/   | SD-WAN Routers (SDN Category) Home /  |
|        | Edge/Aggregation/ Enterprise Router  | Enterprise - Core / Branch routers (<=1 Gbps)   |
| 4      | Ethernet Switches (L2 and L3)  | L2/L3 Ethernet Switches 1-100 GbE interface<br>Switches (Metro and Enterprise) (stackable /<br>standalone / modular switches), for Core / |
|        |  | Distribution / Access Layers (including PoE/PoE+)   |
| 5      |  | Industrial / Carrier Grade LAN 1, 10 GbE  |
|        |  | PoE/PoE+/Non-PoE Switches (Power over Ethernet)   |
| 6      | IP based Soft Switches, IMS, Unified   | IP PBX / Unified Communication Systems(UCS):  |
|        | Communication Systems  | Enterprise class  |
| 7      | Wireline PABXs / IP PBX  | Wireline PABXs / IP PBX   |
| 8      | Customer Premises Equipment (CPEs)<br>(including Wi-Fi Access points, low<br>capacity Routers, Media Converters) | CPE (including Wi-Fi Access points and Routers), [Routers-These are small capacities - home class]  |
| 9      | Leased-line Modems n* 2Mbps / IP   | Leased-line Modems n* 2Mbps / IP  |
| 10     | GPON equipment (including ONT and OLT)   | GPON/XGPON equipment (including ONT and OLT)  |

| 11 | SDH/ PDH Cross Connects  | SDH/ PDH Cross Connects<br>(STM : 1/4/16/64; E1/E3/DS3; Ethernet interfaces)  |
|----|--|---|
| 12 | Small Size LTE/ LTE-R Based Mobile<br>Systems, with its various derivatives  | Macro eNode B, Category 2, as per TEC ENB GR (TDD/FDD) (ENB GR No. TEC/GR/WS/ENB-001/01/MAR-19)                                     |
| 13 | Wi-Fi based broadband wireless access<br>systems indoor & Outdoor (Including<br>Access Point, Aggregation Block, Core<br>Block)        | Indoor AP (802.11 ax MIMO, 2.4 & 5 GHz bands)   |
| 14 | Wi-Fi Access Controller (with interoperability and multi vendor AP support)  | Type 1: <= 2000 AP support  |
| 15 | Radio systems (IP/ Hybrid)   | Radio systems (IP/ Hybrid) (5 GHz band - License Exempt band)   |
| 16 | Repeaters (RF/RF-over-Optical), IBS and<br>Distributed Antenna systems (indoor /<br>outdoor) including Active & Passive<br>Accessories | Repeaters (RF/RF-over-Optical), IBS and<br>Distributed Antenna systems (indoor / outdoor)<br>including Active & Passive Accessories |
| 17 | Satellite Phones (S Bands )  | Both Voice and Data (upto 9.6 Kbps)   |
| 18 | Disaster Communication Systems etc., including backpack satellite products (S Band)  | TEC GR (TEC / TS TP / TX / PVT -01/01/JAN - 11) for Portable Terminals Voice and Data (2 Mbps UL)                                   |
| 19 | Telecom Network Management systems   | Carrier Class   |
| 20 | (NMS) with its various derivatives   | Enterprise Class  |
| 21 | Optical Fibre  | Single Mode / Multimode Optical Fibre   |
| 22 | Optical Fiber Cable  | Optical Fiber Cable (UG & OH)   |
| 23 | Telecom Power System (Including Solar Power)   | UPS, Power Plant, Invertor (Including Solar Power) 0.5-1500 KVA   |
| 24 | ,  | Power Plant: 1-2000 kva (Modular)   |
| 25 | Telecom Batteries (Lead Acid & Li-ion)   | Lead Acid up to 5000 AH (Including VRLA)  |

The list will be reviewed time to time to keep up with improved production capacities in the country.

- 5. The definition of Local Content shall be as per clause 2 of the PPP-MII Order dated 16.09.2020. In accordance with clause 5 of the PPP-MII Order dated 16.09.2020, it is hereby clarified that that if Printed Circuit Board Assembly (PCBA) and testing from imported/domestically manufactured parts and components using Surface Mounting Technology (SMT) process is done in India, then imported/domestically manufactured parts and components will be qualified for the purpose of Local Content. This shall be reviewed when the semiconductor FAB in India is operational.
- 6. In terms of clause 9(d) of PPP-MII Order dated 16.09.2020, the following Committee is constituted for complaints and independent verification of self-declarations and auditor's/accountant's certificates on random basis:

[भाग I-खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 7

a) DDG(TC), TEC, New Delhi -Chairperson
b) Director (Technical), C-DOT - Member
c) Any other member(s) as co-opted by the chairperson
d) DG, TEPC - Member
e) Director (Finance), DoT - Member
f) Director, TEC - Convener

- 7. In case a complaint is received by the procuring entity or the concerned Ministry/Department against the claim of a bidder regarding Local Content (LC) in a locally supplied telecom goods, services or works, the same shall be referred to the Committee as in para 6 above. The Committee should dispose of the complaint within 4 weeks, as far as possible, from the date of receipt of complaint along with all necessary documentation in support of Local Content claimed by the bidder.
- 8. In terms of clause 9 (e) of PPP-MII Order dated 16.09.2020, it is hereby notified that there will be a minimum complaint fee of Rs. 2 Lakh or 1% of the value of the locally supplied telecom goods, services or works being procured (subject to a maximum of Rs. 5 Lakh), whichever is higher, to be paid by Demand Draft or online, and to be deposited with Telecommunications Engineering Centre (TEC), as the case may be, or with any other third party testing laboratories or technical auditors accredited by TEC along with the complaint by the complainant. In case, the complaint is found to be incorrect, the complaint fee shall be forfeited. In case, the complaint is upheld in part or full, deposited fee of the complainant will be refunded without any interest.
- 9. The notification would also be applicable to all Central Schemes (CS)/ Central Sector Schemes (CSS) for which procurement is made by States and local bodies, if that project or scheme is fully or partially funded by Government of India including Universal Service Obligation Fund (USOF) projects.
- 10. The Notification comes into effect immediately and will remain in force till any further revision is made. It is clarified that, except specific amendments to Nodal Ministry, all other revisions/amendments in PPP-MII Order, 2017 shall be followed strictly.

HARI RANJAN RAO, Jt. Secy.